छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 31/03/2014

क्रमांक एफ 3–1/2014/16:– "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा पंजीकृत निर्माण मजदूर यदि अंर्तराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नि. एवं श.) अधिनियम 1979 के तहत् नियमानुसार पंजीकृत ठेकेदार के माध्यम से रोजगार के लिए अन्य प्रान्तों में प्रवास करता है, तो प्रवास के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के वेबसाईट (cglabour.gov.in) में ऑन–लाईन आवेदन प्रस्तुत करने पर सीधे छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(जी0आर0मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
नया रायपुर, दिनांक 31/03/2014

3054
15/4/14

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 3–1/2014/16:–
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, (छ0ग0),
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)
3. सचिव सह श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, (छ0ग.)
4. अध्यक्ष, छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर, (छ0ग0),
5. सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ0ग0),
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी........................... (छ0ग0),
7. उपसंचालक/सहायक सचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एव सुरक्षा ....(छ0ग0),
8. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ रोड, राजनांदगांव की ओर अगामी राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित। कृपया राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

D:\Peter Minj\aadesh.doc